राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
निफ्ट-दिल्ली परिसर
राजभाषा अनुभाग

हिन्दी कार्यशाला का कार्यवृत्त विवरण

निफ्ट दिल्ली परिसर ने दिनांक 23 दिसंबर 2022 को वी.सी. रूम में इस तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2022) की हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला के व्याख्याता के रूप में निफ्ट-दिल्ली परिसर के प्रभारी-राजभाषा (संयुक्त निदेशक), श्री अमित कुमार सिंह ने "कार्यालय में राजभाषा अधिनियम का अनुपालन" विषय पर अपना वक्तव्य देते हुए कार्यशाला में सहभागिता करने वाले कर्मचारियों को राजभाषा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत आने वाले नियम एवं धाराओं के विषय में अवगत कराया।

कार्यशाला में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, वे निम्न प्रकार हैं:

- **अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा--**

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :
परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।
3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

a. अंग्रेजी भाषा का, या

b. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

- **अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा-**

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :
परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

- **अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--**

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।

- प्रभारी-राजभाषा द्वारा, **हिन्दी बोले और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर सम्पूर्ण भारतवर्ष को जिन तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है यथा क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग'** की चर्चा भी की गई।

'क' क्षेत्र के अन्तर्गत वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आतें हैं जहाँ की बोली ही हिन्दी है। 'ख' क्षेत्र वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ की भाषा हिन्दी न होने के बावजूद अधिकतर स्थानों में हिन्दी बोली और समझी जाती है। 'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आतें हैं जहाँ की बोली हिन्दी न होकर उनकी प्रान्तीय भाषा है।

'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	ओड़िशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोराम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, केरल

- **हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर (नियम 5)—**

पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे।

- **हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग-**

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज़ हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों ही में तैयार, निष्पादित और जारी किए जाते हैं।

- इसके अतिरिक्त वक्तव्य के पश्चात् चर्चा किए गए विषयों पर एक मौखिक-प्रश्नोत्तरी का आयोजन भी किया गया।
- कार्यशाला के समापन के अवसर पर प्रभारी-राजभाषा ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी को राजभाषा हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा दी।

हिन्दी कार्यशाला

23.12.2022

1. तेजपाल अरोड़ा — तेजपाल
2. सरला — सरला
3. सूरज भान — सूरज भान
4. प्रीती सिंह — प्रीती सिंह
5. अविनाश — अविनाश
6. सुनील प्रजापति — सुनील
7. विनोद कुमार — विनोद
8. भूदेव — भूदेव
9. हरिगोविन्द — हरिगोविन्द
10. शरद कुमार — शरद कुमार
11. [illegible] कुमार — [illegible]
12. प्रिया एस० भारती — प्रिया
13. रिचा खंडेलवाल — रिचा
14. अंजू रानी — अंजू रानी
15. रोहित गुप्ता — [illegible]
16. वी०के०नी — [illegible]

अमित कुमार सिंह, स.नि.
23/12/22